

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

हरिश्चन्द्र बनाम श्रीमती लीला (को. 21)

रस्म नुकदना ... प्र. 111-128 ... नं० 29 ... सन 2022

क	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तानील में जारी हुए
---	-----------------------------------	---

222 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को चलिनि नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 29/3/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित अर्थात् एं. 1, 30 अप्रैल 8 के लम्बे वादवापिल होकर प्राप्त हुए जिले शा. पत्र दिने गये। वकील प्रार्थीगण विपक्षी शे. 2 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वही लदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शक्ति पत्रावली किया गया। अर्थात् गण 1, 30 अप्रैल 8 को कितकी मर्तवा आवाजे डिलापी जाने के बाद की उपस्थित नहीं उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का शा. पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. पत्र किया गया। पत्रावली फलतः शुभार होकर नम्बर से कम है।

विपक्षीगण को नोटिस जारी नहीं करते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 29/22 प्रा-पत्र

1- हरिश्चन्द्र s/o श्रीलाल ब्राह्मण निवासी-बुधरिया तहसील-माण्डल(कांग)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती लीला देवी s/o कल्याणलाल व्यास निवासी-बुधरिया तहसील-माण्डल(कांग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....बुधरिया.....पटवार हल्का.....बुधरिया I.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न.373, 382, 383, 384 कुल किता.....04.....रकबा.....2-1751 हैक्टर.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10-2-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....बुधरिया.....पटवार हल्का.....बुधरिया I.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 373, 382, 383, 384 कुल किता.....04.....रकबा.....2-1751 हैक्टर.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....बुधरिया.....को.....800/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा